आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 01.01.2026 समय : 1905

<><><><><><><><>

1. राष्ट्रपति भवन में स्किल – द नेशन चैलेन्ज अभियान कार्यक्रम समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों से ए आई सीखने का आह्वान किया।

2. केन्द्र सरकार ने चार नई श्रम संहिताओं के प्रारूप नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही नागरिकों से सुझाव भी मांगे।

3. उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड ने सदस्यता अद्यतन की अंतिम तिथि बढ़ाई।

4. न्यू वन्डूर समुद्र तट पर जलक्रीड़ा संचालन की अनुमति ग्राम पंचायतें नहीं देंगी। अब संचालन हेतु बन्दरगाह समिति और उपायुक्त कार्यालय से ही अनुमति मिलेगी।

<><><><><><><>

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक के साथ देश में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक अवसर है। श्रीमती मुर्मु राष्ट्रपति भवन में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए कौशल विकास–एस ओ ए आर के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में ए आई का महत्व शीघ्रता से बढ़ रहा है और अब हर किसी के लिए इस तकनीक को सीखना अनिवार्य हो गया है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने तकनीकी के माध्यम से भारत के एक जिम्मेदार भविष्य को आकार देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों और सांसदों को एआई प्रमाणपत्र प्रदान किए और 'स्किल द नेशन चैलेंज' नामक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया।

<><><><><><><>

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है और आत्मचिंतन और नए संकल्पों का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति मुर्मु ने सभी से राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को

मजबूत करने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने आशा व्यक्त की कि यह वर्ष सभी के लिए शांति, अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए और एक मजबूत तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी के सामूहिक संकल्प को और मजबूत करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि यह वर्ष सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य तथा समृद्धि लेकर आए और समाज में सुख और शांति की स्थापना हो।

<><><><><><><>

केंद्र सरकार ने चार नई श्रम संहिताओं के लिए प्रारूप नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये श्रम संहिताएँ हैं – मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020। इन संहिताओं में गिग वर्कर सहित अन्य श्रमिक, मजदूरी, रोजगार के प्रकार, ग्रेच्युटी, बोनस और सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। इन प्रारूप नियमों पर पैंतालीस दिन के अंदर सभी हितधारक अपने आपत्तियां और सुझाव दर्ज कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने देश में दशकों से चल रहे मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए पिछले वर्ष इक्कीस नवंबर को इन चार नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। मंत्रालय के अनुसार, नई श्रम संहिताएँ देश के कार्यबल के लिए बेहतर मजदूरी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगी। श्रम संहिता सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान, 40 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और एक वर्ष के रोजगार के बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गारंटी देती है। ये सुधार 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय की गारंटी भी सुनिश्चित करते हैं।

<><><><><><><>

उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड ने विशेष सदस्यता अद्यतन अभियान के तहत शेयर धारकों की सूची के सत्यापन और अद्यतन की अंतिम तिथि अब पंद्रह जनवरी तक बढ़ा दी है। सी सी एस लिमिटेड ने सदस्यों से कहा है कि जिन्होंने अभी तक अद्यतन या सत्यापन आवेदन जमा नहीं किया है वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी प्रदान करें। यह प्रारूप प्रधान कार्यालय और सभी शाखाओं में उपलब्ध है। आवेदन सभी कार्य दिवसों में कार्य समय के दौरान किसी भी शाखा या प्रधान कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अद्यतन सदस्यों की अंतिम सूची तैयार होने के बाद ही समिति के निदेशक मंडल के आगामी चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलेगा।

<><><><><><><><>

नव वंडूर समुद्र तट पर मछली उतारने के घाट के समीप जलक्रीड़ा गतिविधियों के संचालन को लेकर प्रशासन ने नाव संचालकों तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय पंचायत प्राधिकरण को इस क्षेत्र में काँच के तल वाली नौकाओं, पैरासेलिंग अथवा अन्य किसी भी सहायक जलक्रीड़ा गतिविधि के संचालन हेतु अनुमति, स्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशासन के अनुसार, नौकाओं और पोतों के संचालन की अनुमति प्रदान करने का अधिकार केवल पत्तन प्रबंधन बोर्ड तथा दक्षिण अंडमान उपायुक्त कार्यालय को प्राप्त है। यह अनुमति वर्तमान में लागू नियमों, दिशा–निर्देशों एवं सुरक्षा विनियमों के अनुसार ही दी जाती है। सभी नाव मालिकों और संबंधित हितधारकों को निर्देश दिया गया है कि वे वैध अनुमति प्राप्त करने के लिए केवल निर्धारित सक्षम प्राधिकरणों से ही संपर्क करें तथा जलक्रीड़ा गतिविधियों के संचालन के दौरान सभी निर्धारित मानकों, सुरक्षा नियमों और लागू विधिक प्रावधानों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें।

<><><><><><><><>

पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा आयोजित वन रेंजर पद की लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया गया है। द्वीपसमूह में प्रस्तावित वी वी आई पी दौरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब यह लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित डीब्रेट, के स्थान पर कार्मेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री विजय पुरम में आयोजित की जाएगी। हालांकि परीक्षा की तिथियों, विषयों और समय–सारिणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से संबंधित अन्य सभी शर्तें तथा पहले जारी किए गए हॉल टिकट यथावत रहेंगे। अभ्यर्थियों को परिवर्तित किए हुए परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार 233233 अथवा 241874 पर संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><><>